



लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0आई0जी0 64 सेक्टर-डी, मानसरोवर, कानपुर रोड, लखनऊ
फोन नं0 : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0एच0 सिद्दीकी,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
में0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0
द्वितीय तल, एल्लिको कॉरपोरेट चैम्बर-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ।

महोदय,

आपके आवेदन प्रपत्र संख्या-477 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम नूरनगर भदरसा परगना बिजनौर जिला लखनऊ के गाटा संख्या/भूखण्ड संख्या-41,42,43,51 व 52 के आंशिक/सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 12180.00 वर्गमीटर अर्थात् 1.2180 हे0 पर स्वीकृति हेतु भू-विन्यास/तलपट मानचित्र के अनुसार निर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 48) पर आपके आवेदन-पत्र पर विस्तारीकरण भू-विन्यास/तलपट मानचित्र (आवासीय भू-उपयोग) का अनुमोदन मानचित्र स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की गयी है।


24.03.2021
नीलेश सिंह कटियार
(सहा0 नगर नियोजक)


4/3/21
एन. क. आदर्श
(वरि0 प्रबन्धक परियोजना)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 2096

पत्र सं0 / लीडा / सी0ई0ओ. / 424

प्रतिलिपि-

दिनांक 16/03/21

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित सहा0 प्रबंधक परि0 को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित कराये।

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ ।

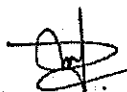
संख्या/ल0औ0वि0प्रा0

दि0.....

निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

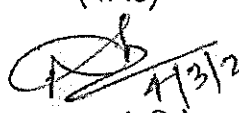
यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम नूरनगर भदरसा परगना बिजनौर जिला लखनऊ में क्षेत्रफल 12180.00 वर्गमीटर अर्थात् 1.2180 हे0 पर दिनांक 07.06. 2019 आवेदन पत्र संख्या-537 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत तलपट (आवासीय भू-उपयोग) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 424/लीडा/सी.ई.ओ./2019-20 पर 1 से 48 शर्तों के अधीन सक्षम स्तर से दिया जा चुका है।


सहा0 प्रबंधक (परि0)


सहायक नगर नियोजक


प्रबंधक (परि0)

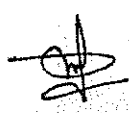

वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक-

नोट-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नहीं विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू-विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया

- जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू-विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।
2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिक सिटी रूल्स के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह भू-विन्यास विकास को निरस्त अथवा रोक अथवा हटा सकता है।
 3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।
 4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावे जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू-विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।
 5. भू-विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण, सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यों को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
 6. वाहय अवस्थापनागत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा।
 7. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासात्मक कार्यों के विरुद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।
 8. भूखण्डों पर व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण कराया जायेगा उसका मानचित्र लीडा भवन विनियमावली, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत लीडा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
 9. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आवेदक द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
 10. यह अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
 11. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
 12. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक्र-ऑन-एज' / लूज स्टोन पेवमेन्ट' का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
 13. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
 14. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
 15. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आवेदक से माँगे जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।



16. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।
17. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी० व आर्की० की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
18. प्राधिकरण के सहा० प्रबंधक परि० अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
19. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
20. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
21. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
22. निजी भूमियों के भू-स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी तथा स्वामित्व संबंधी विपरीत तथ्यों के प्रकाश में आने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व संबंधी किसी भी विवाद की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी एवं प्राधिकरण से इसका कोई संबंध नहीं होगा।
23. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है।
24. प्रश्नगत स्वीकृति ले-आउट प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है। विकासकर्ता को मानचित्र में दर्शित नालों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही योजना के भूखण्डों का विक्रय तभी किया जायेगा जब योजना से सम्बन्धित समस्त अनापत्ति विकासकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली जाय एवं नालों पर पुलिया आदि का निर्माण करा दिया जाय।
25. ले-आउट प्लान के अंतर्गत तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर (देवालय) व नाले इत्यादि के स्वरूप को यथावत रखना होगा तथा किसी भी दशा में इसका संकुचन अनुमन्य नहीं होगा।
26. जनसंख्या के आधार पर मानकों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं यथा आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, पोस्ट आफिस, पुलिस चौकी, बारातघर/कम्यूनिटी सेंटर, विद्युत सब-स्टेशन, बैंक, ए०टी०एम०, क्रीडा केन्द्र, गारबेज कलेक्शन सेंटर, बूथ/कियोस्क, नर्सरी, प्राइमरी एवं इन्टरमीडिएट स्कूल आदि का प्राविधान करना होगा एवं भवन मानचित्र का पृथक से अनुमोदन विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा। उक्त सुविधाओं का विकास, योजना के अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ, समानुपातिक रूप से करना होगा।
27. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र पर भवन अनुज्ञा शुल्क, वाहय विकासात्मक शुल्क व लेबर सेस की आगणित धनराशि को चेक संख्या-001969 से रु.13842570.00 तथा चेक संख्या-001970 से रु.255000.00 की धनराशि को प्राधिकरण में दिनांक 04.03.2021 को जमा कराया गया है। यदि उक्त धनराशि प्राधिकरण को किसी भी कारणवश प्राप्त नहीं होती है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
28. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस०टी०पी०/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं० 3333/55-पर्या०/2008 दि० 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट

- के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
29. शासनादेश सं० 4384 (1) /8-3-11-181 विविध/2008 दि० 07.10.2011, सं० 3338/आठ-1-11-80 (विविध)/2010 दि० 26.09.2011 व सं० 3188/आठ-1-13-80/विविध/2010 दि० 05.12.2013 व अन्य शासनादेशों के अनुसार ई०डब्लू०एस० तथा एल०आई०जी० के डेवलपिंग यूनिट्स निर्मित करने होंगे, जो विकासकर्ता के निर्विवाद भूमि पर होंगे। विकासकर्ता द्वारा ई०डब्लू०एस०/एल०आई०जी० वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाने वाले भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गों के लाभार्थियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी लीडा की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित समिति के माध्यम से शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त विकासकर्ता को शासनादेशों की अपेक्षानुसार योजनान्तर्गत अन्य विकास कार्यों/निर्माण कार्यों के साथ-साथ ई०डब्लू०एस०/एल०आई०जी० श्रेणी के भवनों एवं सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास कार्य को करना होगा। दुर्बल आय वर्गों एवं अल्प आय वर्गों के मानचित्र भी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स के मानचित्र की स्वीकृति के समय ही स्वीकृत कराये जायेंगे। योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जायेगा जब विकास कर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यों व निर्माण के साथ-साथ ई०डब्लू०एस०/एल०आई०जी० भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
30. विकासकर्ता द्वारा ई०डब्लू०एस०/एल०आई०जी० भवन, तथा सामुदायिक सुविधाएं ले-आउट में ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेंगे, जिनका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पास उपलब्ध हो।
31. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेंगे अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
32. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
33. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू०पी०पी०सी०एल० से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
34. विकासकर्ता द्वारा योजना अन्तर्गत पड़ने वाले नालों एवं नालियों के सम्बन्ध में नियमानुसार सिचाई विभाग से स्वयं सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा योजनान्तर्गत कोई चकनाली/चकरोड पड़ती है तो उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं यदि उक्त चकरोड/चकनाली पर कोई विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है तो उसकी अनुमति जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त करने के उपरान्त ही विकास कार्य किया जायेगा।
35. आवेदनकर्ता को योजना के बीच में पड़ने वाली नहर/नाले के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पूलिया निर्मित होने की दशा में आवेदक द्वारा भूखण्डों की बिक्री की जायेगी। उक्त से पहले




- पूर्णता प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जायेगी। यदि नाले से सम्बन्धित कोई वाद विवाद होता है तो समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
36. आवेदक द्वारा प्रस्तावित योजना हेतु सम्पर्क मार्ग प्राधिकरण की अनुज्ञा पत्र संख्या-424 दिनांक 02.11.2015 से स्वीकृत योजना से सम्पर्क मार्ग दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 37. आवेदक द्वारा प्रस्तावित योजना हेतु समस्त सुविधायें मार्ग उपयोग को छोड़कर प्रस्तावित मानचित्र के अन्तर्गत दर्शायी गयी हैं। आवेदक को नियमानुसार समस्त सुविधायें योजनान्तर्गत उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि आवेदक द्वारा कोई विचलन किया जाता है तो संशोधन से पूर्व प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 38. विकासकर्ता को प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार योजनान्तर्गत नियमानुसार मानचित्र में दर्शित ई.डब्ल्यू.एस. एल.आई.जी. के मानचित्र एक माह के अन्दर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में उपलब्ध कराने होंगे।
 39. विकासकर्ता द्वारा परियोजना में नियमानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 40. विकासकर्ता को योजना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता व डिजाइन को जल निगम के मानकों के अनुसार योजना में करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 की नीति के अनुसार कुल जलापूर्ति के 80 प्रतिशत सीवेज की मात्रा की गणना की जायेगी। विकासकर्ता को जनसंख्या के अनुसार सालिड वेस्ट निस्तारण स्थल (गारबेज कलेक्शन सेंटर) हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी।
 41. विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, सीवेज, ड्रेनेज, वाह्य विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्ति, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्क, जल निकासी, लैण्डस्केपिंग, वृक्षारोपण इत्यादि के पृथक-पृथक प्लान्स प्रस्तुत करने होंगे।
 42. विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा निर्माण/विकास गतिविधियों हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। विकासकर्ता द्वारा समस्त आंतरिक विकास कार्य स्वयं के खर्चे पर करना होगा। विकास कर्ता द्वारा विकास शुल्क, भवन शुल्क व अनुज्ञा शुल्क इत्यादि नियमानुसार निर्धारित अवधि पर जमा करना होगा तथा यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किन्हीं प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
 43. योजना के मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों के संबंध में मे0 एल्लिको हाउसिंग इण्डस्ट्रीज लि0 को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
 44. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 45. आवेदककर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार सभी गाटों का दाखिल खारिज होने के उपरान्त कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही उपरोक्त गाटों पर अंकित प्लोटों/भूखण्डों की विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।
 46. आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के कम में प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 47. आवेदनकर्ता द्वारा लेबर सेस या अन्य किसी भी प्रकार की यदि देयता बनती है तो प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

48. किन्ही भी शर्तों का अनुपालन न करने पर ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।


सहायक प्रबन्धक (परि०)


सहायक नगर नियोजक


प्रबन्धक (परि०)


वरि० प्रबन्धक (परियोजना)

File Shaurya E.C. 12/07/14

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To.

Mr. V.P. Singhal,
Advisor (Technical)
M/S Eldeco Housing and Industries Ltd.,
2nd Floor, Eldeco Corporate Chamber-1,
Vibhuti Kand, Gomti Nagar, Lucknow.

Ref. No. 985 /Parya/1609/SEAC/2013/AAS

Dated 3 July, 2014

Subject- Environmental Clearance of Proposed Group Housing Eldeco Shaurya at Chandrawal-848, Natkur-624-638, Noor Nagar-Bhadrsta-15, 16SA, 16/2, 39, Bijnaur-1229SA, 1230-1251, District-Lucknow.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 10/04/2014 addressed to the Chairman, SEIAA,, Directorate of Environment, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case in its meeting held on dated 02-05-14 on the basis of replies submitted regarding the information asked in earlier meeting dated 14/08/2013 wherein the committee recommended as follows:-

"the project proponent through their letter dated 19/07/2013 have informed that the proposals only involves the plotted development works. Also, the area of development is less than 50 ha, so there is no need for environmental clearance as of now. They have further informed that the project shall be presented for obtaining environmental clearance as and when the project will be taken up for any construction work. The committee discussed the matter and directed that if the built-up area for proposed plotted development is less than 20,000 sqm, the environmental clearance is not required for the same. However, in case the proposals exceed 20,000 sqm the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance and directed that an environmental clearance may be required for excavation of earth for the purpose of project. The proponent should submit the application in the matter as per EIA notification, 2006 as amended."

On the basis of information submitted through your letter dated 10/04/2014, the Committee has noted that excavation of soil is required in the project for following purposes:

- For leveling and dressing of the residential plots to bring them to the required level.
- For construction of storm water drainage and for laying sewer and water pipelines, cable line for electrification and development of parks, rain water harvesting and construction of internal roads.

- Also the excavated soil shall be entirely used within the project area and at no point of time, soil will be sent outside the project area and during the project work guidelines of MoEF OM dated 24/06/2013 shall be strictly observed.

The committee also noted the following recommendations of SEAC meeting dated 07/07/2012:-

"that soil excavation is an integral part of building construction and separate environmental clearance is not required for excavation of soil for basement/other construction related activities in construction project proposals for which environmental clearance has been granted or applied. The construction proposals (plot area less than 50 hectares and/or built up area less than 20,000 sqm) are exempted from the requirement of prior environmental clearance as per EIA notification, 2006 soil excavation other than in-house purposes may be exercised with certain safeguards as follows:

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of as per law.
8. Proposals of soil excavation for "commercial purposes" need the prior environmental clearance.

The committee discussed the matter and deliberated that environmental clearance for soil excavation within the project premises for the purposes as proposed is not required in view of above. The State Level Environment Impact Assessment Authority (123rd meeting held on 26-5-2014) agreed with the recommendations of the SEAC as above.

Accordingly, you are hereby informed and directed to strictly follow the guidelines for earth excavation issued through MoEF OM dated 24/06/2013 should also be duly followed, failing which the matter shall attract provisions of violation of Environment (Protection) Act, 1986. In case the proposals exceed constructions of 20,000 sqm (built up area), the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance under EIA Notification, 2006.



(J. S. Yadav)
Member Secretary, SEIAA